## MANGO NAGAR NIGAM

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संम्पती कर की सूचना।

Memo No.: 707338300322125846

Date :30-03-2022

प्रभावी **: प्रथम तिमाही 2022-2023** 

श्री/श्रीमती/सुश्री DR.(CAPT.) VIDYA BINOD PRASAD S/O LATE BADRI NARAYAN , मोहल्ला NEAR DIMNA CHOWK MANGO JAMSHEDPUR JAMSHEDPUR EAST SINGHBHUM , 831012 9430161926

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं॰ - 0100004415000A2 वार्ड सं॰ 10 हुआ है, आपके स्व॰ निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रू॰ निर्धारित किया गया है । इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

|                         | 16                                     | स्व-निर्धारित कर की सूचना      | 15 | 2              |                 |
|-------------------------|--|--------------------------------|----|----------------|-----------------|
| क्रम सं॰                |  | Particulars                    |    | <u>G</u>       | Amount (In Rs.) |
| 1.                      | गृह कर                                 |                                |    | $\overline{O}$ | 24.00           |
| 2.                      | जल कर                                  |                                |    |                | 0.00            |
| 3.                      | शौचालय कर                              |                                |    |                | 0.00            |
| 4.                      | बिजली कर                               |                                |    |                | 0.00            |
| 5.                      | अतिरिक्त गृह कर<br>(वर्षा जल संरक्षण व | की व्यवस्था नहीं होने के कारण) |    |                | 0.00            |
| कुल राशि (प्रति तिमाही) |  |                                |    |                | 24.00           |

| l |  |  |
|---|--|--|
| l |  |  |
| l |  |  |
| l |  |  |
| l |  |  |
| l |  |  |
|   |  |  |

To be signed by the Applicant

## नोटः-

- 1. कर निर्धारण की सूची, MANGO NAGAR NIGAM Website, <u>suda.jharkhand.gov.in</u> पर प्रदर्शित है।
- 2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पति कर का 50% होगा । हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें ।
- 3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा
- 4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियातय दी जाएगी।
- 5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयाविध (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- 6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- 7. MANGO NAGAR NIGAM द्वारा संग्रहित इस सम्पति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- 8. अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा ।

NOTE: This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print